न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 334/2022

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. रामपाल पुत्र उद्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री सांवरिया बैरागी
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 1217/240 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1218/241 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 0. 28 है0, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.21 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह्र मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार को कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:— उक्त आरा... आवेदक की खातेदारी में दर्ज होकर कब्जाकाश्त है। ख. नं. 242 रकबा 0.21 है0 ... से 0.03 है0 भूमि पर पूर्व दिशा की तरफ आम रास्ता है जिससे काश्तकार आते जाते है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से ख. नं. 307 के खातेदार से सीमा विवाद है। आवेदक को ख. नं. 307 के खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिकमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2074–2077</u> में अंकित खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 1217/240 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1218/241 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.21 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली